



Neutral Citation No . - 2026:AHC:5909

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 99 वर्ष 2026

अशोक कुमार (जूनियर इंजीनियर)

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	रफीक अहमद खान
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रफीक अहमद खान और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी।
2. वर्तमान रिट याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 06.11.2024 को प्रस्तुत अपील/प्रतिनिधित्व का निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्र निपटारा किया जाए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर उक्त कार्यवाही का कड़ाई से कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)